# वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001

सं.36-3(89)/ईए-लॉ-वाल्यू.IV 7२)

06.04.2017 07.04.2017

### कार्यालय ज्ञापन

## विषय: विवाचन (आर्बिट्रेशन)/विधिक मामलों की पैरवी

यह देखा गया है कि कभी–कभी विवाचन/विधि मामलों में संबंधित प्रभाग/वैज्ञानिक द्वारा यथोचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जाती है। सक्षम प्राधिकारी ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है और अनुमोदन किया है कि संगठन के हितों की समुचित सुरक्षा हेतु मामले की प्रभावशाली पैरवी की जाए और सुनवाई, संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक विद्वान रके समभ विवाचक के समक्ष उपस्थित रहें।

मामले को डील करने वाले अधिकारी/वैज्ञानिक सतर्क रहें और कार्यालय, विधि प्रभाग और अधिवक्ता के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करके मामले की अद्यतन जानकारी रखें और मामलों के उपयुक्त रिकॉर्ड रखें।

विवाचक और/अथवा अधिवक्ता के शुल्क के बिलों को निरपवाद रूप से संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक द्वारा सत्यापित किया जाए जिससे कि समय से भुगतान किए जाने हेतु प्रशासन/विधि प्रभाग ने बिल संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक यथा संभव सुनवाई के समय उपस्थित रहें। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वे सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने में असमर्थ रहते हैं तो वे अधिवक्ता के सम्पर्क में रहें और सूचना/रिकॉर्ड तथा अधिवक्ता/विद्वान विवाचक के शुल्क बिलों के सत्यापन हेतु कार्यवाहियों की प्रति प्राप्त कर लें।

भवदीय,

कि कि उतिराया

(बिजेन्द्र कुमार) उप सचिव (विधि)

सूचनार्थ प्रतिः

- (i) सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक
- (ii) सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
- (iii) सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के उप वित्त सलाहकार वित्त एवं लेखा अधिकारी
- (iv) महानिदेशक ,सीएसआईआर के निजी सचिव
- (v) संयुक्त सचिव (प्रशा.) की निजी सचिव
- (vi) वित्त सलाहकार के निजी सचिव
- (vii) मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव
- (viii) प्रमुख, एचआरडीजी, एचआरडीसी, आईपीयू
- (ix) उप सचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स
- (x) उप सचिव (के.का.), सीएसआईआर मुख्यालय
- (xi) उप सचिव-आरएबी
- (xii) प्रधान, आईटी प्रभाग इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

- 31-21 31-27 A TRATE TO: A Stateland Hadre gni (22) di Ei 13/04/13

#### COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH, ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI – 110 001.

No. 36-3(89)/EA-Law-Vol. IV

07.04.2017

#### OFFICE MEMORANDUM

#### Subject: Pairavi of Arbitration/legal cases.

It has been observed that at times in Arbitration/Legal cases proper follow up action is not taken by the concerned division /Scientist. The competent authority has taken it seriously and approved that for properly protecting the interest of the organization, there must be an effective *pairavi* of the matter and the concerned officer/Scientist needs to be present before the Ld. Arbitrator during the hearings.

The officer/Scientist dealing with the cases must be watchful and keep himself/herself updated about the cases, by establishing proper co-ordination between the office, Legal Division and the Advocate and maintain proper records of the cases.

The fee bills of the Arbitrator and/or Advocate must be invariably verified by the concerned officer/Scientist to facilitate the Admn./Legal Division to process the same for timely payment.

As far as possible the concerned officer/Scientist must attend the hearings. In case they could not attend the hearings due to some unavoidable reasons, they need to be in touch with the Advocate and gather the copy of proceedings for information/record and for verifying the fee bills of the Advocate /Ld. Arbitrator.

(Bijen Deputy Secretary (Legal)

Copy for information to:

- (i) Directors of all Labs/Institutes of CSIR.
- (ii) Sr. COAs/COAs/AOs of all the Labs/Institutes of CSIR/
- (iii) Dy. FAs/F&AOs of all Labs/Institutes of CSIR.
- (iv) PS to DG, CSIR
- (v) PS to JS (Admn.)
- (vi) PS to FA
- (vii) PS to CVO
- (viii) Head, HRDG, HRDC, IPU
- (ix) DS/F&AO, CSIR Complex.
- (x) DS(CO), CSIR Hqrs.
- (xi) DS-RAB.
- (xii) Head IT Division-With a request to display this OM on the CSIR Website.